

# राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

झालाना संस्थानिक क्षेत्र, दूरदर्शन केन्द्र के पास,  
जयपुर

क्रमांक: F-100(7)/SIHFW/Recruit-NHM/grievance/ 15-16/6694

दिनांक: 08.06.2016

एन.एच.एम. भर्ती के तहत नर्सिंग व पैरामेडिकल संवर्गों के अभ्यर्थियों हेतु सूचना

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आदेश क्रमांक: नर्सिंग/जीएनएम/NRHM/लिखित परीक्षा-2015/2015/63 दिनांक: 12.08.15 के द्वारा एन.एच.एम. के 19 संविदा के कैडरों (संवर्गों) हेतु राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (शीफू), जयपुर को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों के चयन का कार्य सौंपा गया था। निर्देशानुसार, शीफू द्वारा यह कार्य योग्य एजेन्सी का चयन कर सम्पन्न कराया गया।

चयनित फर्म के माध्यम से कम्प्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा आयोजन हेतु दिनांक 28.01.16 को समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर एवं संस्थान की वैबसाइट एवं विभाग की वैबसाइट पर विज्ञापन अपलोड कर निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 02.02.16 से 12.02.16 तक आवेदन मांगे गये थे—

क्र. सं	पद का नाम	पद संख्या
1	जीएनएम	3167
2	एएनएम	1789
3	लैब टेक्नीशियन	48
4	फार्मासिस्ट आर.बी.एस.के.	512
5	फार्मासिस्ट जिला चिकित्सालय एवं सी.एच.सी.	79
6	फिजीयोथेरेपिस्ट	7
7	ऑपट्रोमेट्रिस्ट	7
8	ऑडियोलोजिस्ट कम स्पीच थेरेपिस्ट	7
9	नर्सिंग सुपरिनेंडेन्ट	04
10	नर्सिंग ट्यूटर	40
11	पी.एच.एन.	77
12	सीनियर सैनेटरी इंस्पैक्टर	31
13	नर्सिंग ट्यूटर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कोटा	9
14	नर्सिंग मिडवाईफरी ट्यूटर स्टेट नोडल सेन्टर, कोटा	2
15	आयुर्वेद चिकित्साधिकारी (परिणाम जारी किए गये दिनांक 25.05.16)	668
16	होम्यो. चिकित्साधिकारी (परिणाम जारी किए गये दिनांक 25.05.16)	121
17	यूनानी चिकित्साधिकारी (परिणाम जारी किए गये दिनांक 25.05.16)	109
18	आयुष चिकित्सक आर.बी.एस.के.(परिणाम जारी किए गये दिनांक 25.05.16)	1024
19	आयुष कम्पाउन्डर	150

१३/६/१६

उपरोक्त पदों की संख्या में विभिन्न आदेशों के माध्यम से निम्नानुसार और बढ़ौतरी की गई—

अ) मिशन निदेशक एन.एच.एम. का पत्र दिनांक 28.03.16 द्वारा आयुष कम्पाउन्डरों के 150 के स्थान पर 188 पद किये गये।

ब) मिशन निदेशक एन.एच.एम. का पत्र दिनांक 01.04.16 द्वारा फिजियोथेरेपिस्ट, आप्टोमीट्रिस्ट व ऑडियोलॉजिस्ट कम स्पीच थेरेपिस्ट के 7-7 पदों के स्थान पर 12-12 पद किये गये।

सभी कैडरों हेतु परीक्षा विभिन्न बैचों में दिनांक 27 व 28 फरवरी 2016 को आयोजित की गई थी किन्तु कुछ अभ्यर्थी तकनीकी कारणों से परीक्षा देने से वंचित रह गये अथवा समय पर परीक्षा प्रारम्भ नहीं कर पाये। ऐसे अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा पुनः 9 मार्च 2016 को आयोजित की गई। यदि किसी विषय की परीक्षा एक से अधिक बैच में आयोजित होती है तो यह संभावना होने से कि कोई एक प्रश्नपत्र कम या ज्यादा कठिन हो सकता है इक्वेटिंग करने की आवश्यकता होती है। अतः जिन कैडरों हेतु एक से अधिक पारियों में परीक्षा आयोजित की गई ऐसे सभी कैडरों के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों को इक्वेटिंग करते हुए परीक्षार्थियों को इक्वेटेड पर्सन्टाइल अंक प्रदान किये गये हैं। शेष सभी कैडरों में नॉन-इक्वेटेड पर्सन्टाइल अंक प्रदान किए गये हैं।

निःशक्तजन :— विज्ञापित उक्त पदों के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान के नोटिफिकेशन दिनांक 21.07.11 राजस्थान विशेष योग्यजन का (समान अवसर, अधिकारों को संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 एवं भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 22.03.2007 के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों (Person with Disability) को 3 प्रतिशत आरक्षण हॉरिजोन्टल से देय होगा। अर्थात् जिस वर्ग का उसी वर्ग के पदों में समायोजित किया जावेगा। विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 22.03.2007 एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के नोटिफिकेशन दिनांक 21.07.2011 मे शिड्यूल 32 मे वर्णित पद विशेष के कार्य के लिये पात्र विशेष योग्यजन अभ्यर्थी को ही उसी श्रेणी मे आरक्षण का लाभ देय होगा। चयनित अभ्यर्थियों को उनकी मूल जाति वर्ग के लिये आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित माना जावेगा।

नोट— 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता होने पर ही इस वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जावेगा। विभाग द्वारा विज्ञापित इन पदों हेतु पात्र विशेष योग्यजन श्रेणियों का विवरण कॉमन मेरिट के साथ प्रदर्शित किया जावेगा।

उत्कृष्ट खिलाड़ी— कार्मिक विभाग की अधिसूचना सं एफ-5(31)डीओपी/ए- ॥/84, दिनांक 15.03.13 की पालना में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियमों के नियम "7C" में उल्लेखित स्तर के प्रमाण पत्र धारित राजस्थान के उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यार्थियों को ही नियमानुसार 2 प्रतिशत आरक्षण हॉरिजोन्टल देय होगा एवं इनका समायोजन उसी प्रवर्ग में किया जावेगा, जिस प्रवर्ग का अभ्यार्थी है। इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा और ऐसी रिक्त पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की

जावेगी। खिलाड़ियों के लिए आरक्षण क्षैतिज आरक्षण माना जावेगा तथा इसे उस प्रवर्ग में समायोजित किया जावेगा, जिससे वे खिलाड़ी संबंधित है।

**स्पष्टीकरण:-** उत्कृष्ट खिलाड़ियों से अभिप्रेत है और उसमें सम्मलित है राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होने:-

1. इण्डियन ओलंपिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद में कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।  
या
2. इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद में कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।  
या
3. इण्डियन ओलंपिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद में कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।  
या
4. इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद में ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर आगे तालिका में दिये गये कैडरों हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

क्र. सं	कैडर का नाम	पद संख्या
1	जीएनएम	3167
2	एएनएम	1789
3	लैब टेक्नीशियन	48
4	फार्मासिस्ट आर.बी.एस.के.	512
5	फार्मासिस्ट जिला चिकित्सालय एवं सी.एच.सी.	79
6	फिजीयोथेरेपिस्ट	12
7	ऑप्ट्रोमेट्रिस्ट	12
8	ऑडियोलोजिस्ट कम स्पीच थेरेपिस्ट	12
9	नर्सिंग सुपरिनेन्डेन्ट	04
10	नर्सिंग ट्यूटर	40
11	पी.एच.एन.	77
12	सीनियर सैनेटरी इंस्पैक्टर	31
13	नर्सिंग ट्यूटर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कोटा	9
14	नर्सिंग मिडवाईफरी ट्यूटर स्टेट नोडल सेन्टर, कोटा	2
15	आयुष कम्पाउन्डर	188

११६१६

- 1) सर्वप्रथम सभी कैडरों के रोस्टर एवं प्रश्न पत्र मय उत्तर कुंजी जारी की जावेगी।
- 2) तत्पश्चात् ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों की पर्सन्टाईल रैंक सूची आवश्यकतानुसार जारी की जावेगी।
- 3) तत्पश्चात् विज्ञापित पदों के डेढ़ गुना रोस्टर को अपनाते हुए अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जावेगा एवं आवेदन फार्म में टी.एस.पी. क्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र स्पष्ट नहीं होने के कारण टी.एस.पी एवं सहरिया क्षेत्र के समस्त अभ्यर्थियों एवं समस्त निःशक्तजन, विधवा एवं परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक तथा उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जावेगा।
- 4) दस्तावेज सत्यापन कार्य पश्चात् दस्तावेज सही पाये जाने पर योग्य अभ्यर्थियों की सफलता सूची रोस्टर अनुसार तैयार की जावेगी।
- 5) तत्पश्चात् दस्तावेज सत्यापन उपरान्त सफल पाए गये अभ्यर्थियों की रोस्टर अनुसार पर्सन्टाईल रैंक सूची मय कैटेगरी वाइज कट ऑफ व रोस्टर जारी किये जावेंगे।
- 6) प्रकाशित रोस्टर एवं मेरिट लिस्ट पर आपत्तियों हेतु अभ्यर्थियों को प्रकाशन की तिथि से तीन दिवस का समय दिया जावेगा।
- 7) तत्पश्चात् सफल अभ्यर्थियों की आपत्तियों के निवारण उपरान्त अन्तिम तौर पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी जिसे पत्रावली पर प्रकिया के अनुमोदन उपरान्त शीफू द्वारा जारी किया जावेगा।

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि समय-समय पर उपरोक्त कैडरों के परीक्षा परिणाम से सम्बद्धित जानकारी शीफू की वैबसाईट [www.sihfwrajasthan.com](http://www.sihfwrajasthan.com) पर उपलब्ध कराई जाएगी, इस हेतु अलग से कोई सूचना केवल आवश्यकता होने पर ही जारी की जावेगी। अतः सभी अभ्यर्थियों को सम्बद्धित कैडरों के परीक्षा परिणाम की जानकारी प्राप्त करने हेतु शीफू की वैबसाईट का नियमित अवलोकन करते रहने की सलाह दी जाती है।

*01/06/2016*  
निदेशक ४/६/१६  
रा.स्वा. एवं प.क. संस्थान

क्रमांक: F-100(7)/SIHFW/Recruit-NHM/grievance/ 15-16/6694

दिनांक: 08.06.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एन.एच.एम., राजस्थान।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान।
5. परियोजना निदेशक, एन.एच.एम., राजस्थान।
6. कार्यालय प्रति।

*01/06/2016*  
निदेशक ४/६/१६  
रा.स्वा. एवं प.क. संस्थान